

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

संख्या: गृह-(जी)ए(3)-3 / 2013 तारीख: शिमला-2,

18-10-2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग में सहायक जिला न्यायवादी, वर्ग-1 (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपावन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं।
अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, सहायक जिला न्यायवादी वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
निरसन और व्याख्यातियाँ।	2	(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: गृह(अभियोजन)-1-1/2003-भाग-1, तारीख 21-05-2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, अभियोजन विभाग, सहायक जिला न्यायवादी, वर्ग-1 (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का एतद्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुरक्षात नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या लार्याई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार।


2/-

(2)

पृष्ठांकन सच्चाया: यथोपरि। तारीख शिमला-2

/ 8-10-2017

1. राजिव (वित/ कार्मिक/ सामान्य प्रशासन/ विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला-171002।
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश विधानसभा, शिमला-171004।
4. निदेशक, अभियोजन हिमाचल प्रदेश शिमला-171009।
5. संयुक्त विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार।
7. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि-राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी विधि विभाग (राजभाषा खण्ड), हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2


(महेश कुमार भारद्वाज)
संयुक्त सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, में सहायक जिला न्यायवादी, वर्ग-1 (राजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1. पद का नाम: सहायक जिला न्यायवादी,

2. पद (पदों) की संख्या: 114 (एक सौ छौदह)

3. वर्गीकरण: वर्ग-1 (राजपत्रित)

4. वेतनमान:

(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान: पे बैण्ड 10300-34800/- रुपए जमा 4400/- रुपए ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां: स्थान संख्या 15-क में दिए गए छौरे के अनुसार 25000/- रुपए प्रतिमास ।

5. "चयन" पद अथवा लागू नहीं।
"अचयन" पद:

6. सीधी भर्ती के लिए आयु: 35 वर्ष और इससे कम :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य घिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रदर्शों के लिए, उस विस्तार तक

Subhash Singh

शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समरत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारियून्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी: सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथारिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ:

(क) अनिवार्य अर्हता (ए):

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषि में व्यावसायिक उपाधि ; और

(ii) अधिवेशन के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव।

(अन्यथीं से सम्बद्ध जिला बार एसोसिएशन/बार कौन्सिल के अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है)

rahesh

(ख) बॉच्नीय अर्हता (अर्हताएँ):

हिमाचल प्रदेश की रुद्धियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और

आयु:

लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति
(व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी
या नहीं:

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:

शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं): लागू नहीं।

(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक
ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया
जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी
विशेष परिस्थितियों में और कारणों को
लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार
पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्
पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई
परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी
या_प्रोन्नति / सैकेण्डमैण्ट/
स्थानान्तरण द्वारा और
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने
वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:

शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति,
नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर
भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति / सैकेण्डमैण्ट / स्थानान्तरण
द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड)
जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैण्ट /
स्थानान्तरण किया जाएगा:

लागू नहीं।

निजी व्यवसाय (प्राईवेट प्रैविट्स) का वर्जन

सेवा के किसी भी सदस्य को निजी व्यवसाय (प्राईवेट प्रैविट्स) का कोई अधिकार नहीं होगा।
तथापि, उन्हें विधि परामर्शी/सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार की विशेष अनुज्ञा से, अन्य
राज्यों, भारत संघ और हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वायत्त निकायों की ओर से मामलों में
अभियोजन, अभिव्यक्ति और प्रतिवाद करने की अनुमति दी जा सकेगी और राज्य सरकार द्वारा
अन्य राज्यों, भारत संघ और स्वायत्त निकायों से फीस प्रभारित की जा सकेगी। राज्य सरकार
द्वारा अन्य राज्यों, भारत संघ और स्वायत्त निकायों राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों, भारत संघ
और स्वायत्त निकायों की ओर से सिविल मामलों के संचालन के लिए प्रभारित उक्त फीस का दो
तिहाई भाग सम्बद्ध सहायक जिला न्यायवादी को संदर्भित किया जाएगा।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति
विद्यमान हो तो उसकी संरचना:
- | | |
|-------------------------|--|
| विभागीय स्थायीकरण समिति | 1. सचिव (गृह).....अध्यक्ष |
| | 2. निदेशक अभियोजन सदस्य |
| | 3. विशेष / संयुक्त / उप सचिव
/ अवर सचिव
(अभियोजन / गृह)..... सदस्य |

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों
में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा
आयोग से परामर्श किया जाएगा:

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य
अपेक्षा:
- किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अन्यर्थी
का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर
नियुक्ति के लिए
चयन:

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए
चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर
किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश
लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती
अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या
समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा
(वरतुनिष्ठ प्रकार की) लिखित परीक्षा या व्यावहारिक
परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के अनुसार
साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया
जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति,
आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा
अवधारित किया जाएगा।

निवन्धनों और शर्तों के अध्यधीन यह जाएगी:-

(I) संकल्पना:

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग में सहायक जिला न्यायवादी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगा।

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

Answers

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना: संचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के

०

लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्येक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समझ रखेगा।


(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियाँ:

संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक जिला न्यायवादी को 25000/-रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदर्भ की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 750/-रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:

संचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।



(IV) चयन प्रक्रिया:

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन,

साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (पर्स्टुनिष्ट प्रकार की) लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका रार/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार:

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपायन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 25000/- रुपए प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे वैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदर्भ की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 750/- रुपए (पद के पे वैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन

for review

प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन देतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।


(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के दिशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भायात् हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रभाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीदित बच्चों की संख्या का घिनार तक चिकित्सा) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त

व्यक्ति को उपरोक्ता के सिवाय
किसी अन्य प्रकार का कोई
अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपभुवत
आकर्षित अवकाश, चिकित्सा
अवकाश और विशेष अवकाश एक
कलैण्डर वर्ष तक संचित किया
जा सकेगा और आगामी कलैण्डर
वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया
जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन
के बिना कर्तव्य (इयूटी) से
अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही
संविदा का पर्यवसान (समाप्ति) हो
जाएगा। तथापि आपवादिक
मामलों में जहाँ पर चिकित्सा
आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत
अनुपस्थिति के हालात संविदा पर
नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से
बाहर हों तो उसके नियमितीकरण
के मामले में विचार करते समय
ऐसी अवधि अपदर्जित नहीं की
जाएगी, किन्तु पदधारी को इस
बाबत समय पर नियन्त्रक
प्राधिकारी को सूचित करना होगा।
तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति
कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी
अवधि के लिए संविदात्मक रकम
का हकदार नहीं होगा :


परन्तु उसे सरकार के
प्रचलित अनुदेशों के अनुसार,
चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी
किए गए बीमारी/आरोग्य
प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना
होगा।

- (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक रथान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर रथानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (घ) घयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत विकल्पा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत विकल्पा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।
- (फ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हफकदार होगा/होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ० आर०-एस० आर०, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निवि नियम, पेशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को

for review

कर्मधारी सामूहिक बीमा रक्कीम के
राथ—साथ
इ०पी०एफ० / जी०पी०एफ० भी
लागू नहीं होगा ।

16. आरक्षण:

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों
और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत
जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा:

सेवा ने प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल
प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय
परीक्षा पास करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या
समीचीन है, वहाँ वह कारणों को लिखित में
अभिलिखितकरके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के
परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी /किन्हीं
उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के
प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

Pradeep

सहायक जिला न्यायवादी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य संविव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री
 निवासी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति
 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल
 के मध्य संविव(गृह), हिमाचल प्रदेश राज्यपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार
 कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार सहायक जिला न्यायवादी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित नियन्त्रण और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक जिला न्यायवादी के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् को स्वयंसेव ही पर्यवर्तित (समाप्त) हो जाएगी तभा चूप्ता नोडिंग आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रभाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 25000/- रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अरथाती आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवर्तित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपमुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से र्खतः ही संविदा का पर्यवसान (समाप्ति) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहाँ पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति पी ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रनिलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत विकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अरथायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत विकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक वीमा स्कीम के साथ-साथ ₹५०००००/-/₹१००००००/- भी लागू नहीं होगा।

इसके साथस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

Anil Singh